17 वन विभाग

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि 343.87 लाख
- राज्य आयोजना मद 343.87 लाख
- केन्द्रीय योजना मद शुन्य

y{; ,o mn'; &

- चारागाह/पड़त भूमि पर वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र का विस्तार करना
- कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि पर वृक्षारोपण करवाना
- बंजर एवं पड़त भूमि की उर्वरकता की पुनः स्थापना
- चारे, ईंधन एवं जलाऊ लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति
- भूमिगत जल में सुधार कर संतुलन कायम करना
- पर्यावरण संतुलन बनाये रखकर वन्यजीवों की सुरक्षा करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के साथ–साथ हरियाली
- वन भूमि का अमल–दरामद कार्य पूर्ण करवाना

वन विभाग का दृष्टि पत्र

16.1 वर्तमान स्थिति

- जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 17718 वर्ग कि.मी.
- वन क्षेत्र 240.92 वर्ग कि.मी.
- वनाच्छादित क्षेत्र 139.00 वर्ग कि.मी.
- रिक्त वन क्षेत्र 101.92 वर्ग कि.मी.
- रिक्त वन क्षेत्र में से वृक्षारोपण योग्य क्षेत्रफल 50.00 वर्ग कि.मी.
- वृक्षारोपण योग्य चारागाह/पड़त भूमि 550.00 वर्ग कि.मी.

नागौर जिला 17718 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मं से 240.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन भूमि है जो कुल क्षेत्रफल का 1.30 प्रतिशत है।

भू–आकृति एवं मृदाओं के अभिलक्षणों की दृष्टि से इस जिले की मृदाओं में अनेकों विभिन्नताएँ है। उत्तर पश्चिम भाग ऊचे–ऊचे रेतीले टिब्बों से ढ़का हुआ है तो उत्तरी–पूर्वी भाग में मध्यम एवं ऊचें दोनों तरह के रेतीले टिब्बे हैं, लेकिन दक्षिणी भाग अरावली से आयी हुई दुमट एवं भटियार मृदाओं से आच्छादित है।

16.1.1 वन मण्डल अधीन वन भूमि का विवरण

क्र.सं.	वैधानिक वर्गीकरण	क्षेत्रफल (है.)	वन खण्डों की संख्या
1.	आरक्षित वन	80.00	1
2.	रक्षित वन	20623.30	46
3.	अवर्गीकृत वन	3389.48	41
	योग	24092.78	88

राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधीनियम 1972 के अधीन जिले में शिकार निषीद्ध क्षेत्र घोषित है। यथा 1.रोटु, पंचायत समिति जायल

2. जारोड़ा, पंचायत समिति, मेड़ता

16.1.2 जैव विविधता

जैव विविधता के परिदृश्य में सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है और प्रत्येक प्रजाति पर्यावरण संतुलन में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाति है। प्रजातियों के संरक्षण का विशेष मूल्य होता है। प्रत्यक्ष मूल्य के रूप में ईंधन, चारा, वन–उत्पाद तथा जीव–जन्तु के रूप में प्राप्त लाभ हैं जबकि व्यावसायिक मूल्यों में लकड़ी, मछली, मांस तथा औषधियां आदि हैं। अप्रत्यक्ष मूल्यों में पारिस्थितिकी तंत्रों का संचालन, जलवायु पर नियंत्रण, मूद्रा में सूधार, जल प्रवाह तंत्रों की सूरक्षा तथा प्रकाश संश्लेषण इत्यादि अनेकानेक प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इस जिले में जैव विविधता निम्न प्रकार है ।

प्राकृतिक पेड़ पौधे – खेजड़ी, बेर, रोहिड़ा, देशी बबूल, जाल, कूमट, केर, कंकेड़ा, धोक इत्यादि।

प्राकृतिक झाड़ियां – आकड़ा, खींप, बूई इत्यादि।

प्राकृतिक घास – भूरट, धामण इत्यादि।

वन्य जीव जन्तु – काला हिरण, चिंकारा, नील गाय, लोमड़ी, सियार, खरगोश, झाऊ, चूहा, सांप तथा पक्षियों की अनेक प्रजातियां।

जैव विविधता के बचाव हेतु फलांईग स्वायड के लिए एक वाहन क्रय करने का प्रावधान रखा जा रहा है तथा स्टाफ के लिए बैरक निर्माण का भी प्रावधान रखा गया है।

16.1.3 संसाधन

इस वन मण्डल में वर्तमान में एक पुरानी जिप्सी, एक ट्रक, तीन ट्रेक्टर चालु हालत में है। जिले के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए वृक्षारोपण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। जिले में पांच क्षेत्रीय वन अधिकारीयों को कार्य क्षेत्र विभाजित किया हुआ है जिनको वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु एक जीप का प्रावधान किया गया है। जिसे क्षेत्रीयों के अधीन क्षेत्र में गश्त करने हेतु उपलब्ध करवाई जायेगी। जिससे वन्य जीवों के शिकार में कमी होने की संभावना होगी।

16.2 योजना के लक्ष्य एवं उदेश्य

- चारागाह/पड़त भूमि पर वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र का विस्तार करना
- कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि पर वृक्षारोपण करवाना
- बंजर एवं पड़त भूमि की उर्वरकता की पुनः स्थापना
- चारे, ईंधन एवं जलाऊ लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति
- भूमिगत जल में सुधार कर संतुलन कायम करना
- पर्यावरण संतुलन बनाये रखकर वन्यजीवों की सुरक्षा करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के साथ–साथ हरियाली
- वन भूमि का अमल–दरामद कार्य पूर्ण करवाना

16.3 लक्ष्यों तक पहूंचने की कार्य–योजना

सांझा वन प्रबंध समितियों से वनों की सुरक्षा को प्रभावी ढंग से करने के लिए नई वन सुरक्षा समितियों का गठन करना एवं पुरानी सुरक्षा समितियों को सक्रिय करना प्रस्तावित है।

जिले में जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों में पदस्थापित वन–विभाग के कर्मचारियों द्वारा सोसियल फारेस्ट्री मद में पंचायत समिति वार पौध तैयार कर स्थानीय कृषकों, ग्रामीणों, स्कूलों इत्यादि को पौध वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिले में वन–विभाग के माध्यम से वर्किंग प्लान फारेस्ट डिमार्केशन एण्ड सेटलमेंट मद के अन्तर्गत कुचामन पंचायत समिति में योजनान्तर्गत बाऊंड्री पीलर बनाने के लक्ष्य लिए गये हैं। बाऊंड्री पीलर बनाने से वन–भूमि का सीमांकन होने के साथ–साथ अवैध अतिक्रमण की रोकथाम में भी सहायक है।

जिले में फोरेस्ट डवलपमेंट एण्ड जेएफएम मद के अन्तर्गत लाडनू, जायल तथा कोड नर्सरी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। नर्सरियों में बड़े साईज के पौधें तैयार करने हेतु नर्सरी जायल में प्रावधान रखा गया है।

13.3.1 वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण

जिले में मरूप्रसार रोक परियोजनान्तर्गत वर्ष 1999–2000 से सी.डी.पी. योजनान्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला परिषद् के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार 11 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष तीन हजार हैक्टर में वृक्षारोपण करना प्रस्तावित है। यह परियोजना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्रियान्वित की जा रही है–

(1) बंजर एवं पड़त भूमि की उर्वरकता की पुनः स्थापना,
(2) चारे, ईंधन एवं जलाऊ लकड़ी की आवश्यकताओ की पूर्ति,
(3) मरूस्थल प्रसार पर नियन्त्रण,
(4) भूमिगत जल में सुधार कर संतुलन कायम करना,
(5) पर्यावरण संतुलन रखकर वन्यजीवों की सुरक्षा करना,
(6) ग्रामीण क्षैत्रों में रोजगार के अवसर के साथ हरियाली बढ़ाना।

परियोजनान्तर्गत कार्य इस योजना अन्तर्गत मरूप्रसार रोकने के उद्धेश्य से वृक्षारोपण के निम्नाकिंत कार्य वन भूमि, सामुदायिक भूमि, गोचर/ओरण, राजस्व, पड़त, बंजर भूमि पर निम्न मॉडलों के अन्तर्गत वृक्षारोपण करवाया जा रहे हैं :–

- **टिब्बा स्थिरीकरण** – अधिकांश मरूस्थल में तीन प्रकार के टिब्बे विद्यमान है चलायमान, अर्द्धस्थाई, एवं लगभग स्थायित्व प्राप्त टिब्बे। टिब्बा स्थिरीकरण कार्यो हेतु पहले एवं दूसरे प्रकार के टिब्बों को प्रथम वरियता से लिया जावेगा। चलायमान टिब्बों पर मल्चिंग कार्य पहले वेग की दिशा वाले भाग से आरम्भ कर आवश्यकतानुसार सक्रिय रेतीले भागों में किया जाता है। इस वृक्षारोपण का मुख्य उद्धेश्य भू उड़ान/कटाव को रोकते हुए भूमि को वृक्षों से आच्छादित करना है।
  - **पौधारोपण** – पौधारोपण से पूर्व क्षेत्र की कांटेदार तार एवं ऐंगल पोस्ट से तारबन्दी की जाती है एवं मल्चिंग का कार्य भी पौधारोपण से पूर्व ही किया जाता है। वर्षा होने के पश्चात् 4 गुणा 5 मीटर की दूरी पर गड्डे खोदकर उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाये जाते है। मुख्यतः निम्न प्रजातियों के पौधे टीब्बा स्थिरीकरण योजना में लगाये जाते है इसमें 500 पौधे प्रति हैक्टर से लगाये जाते है।
    (1) इजरायली बबूल, (2) बैर,
    (3) खेजड़ी, (4) रोहिड़ा
  - **बीजारोपण** – (1) फोग, (2) झड़ बेरी **घास** :– धामण
  - **मल्चिंग** – (1) सिनिया, (2) खींप

- **वनीकरण – प्रथम वृक्षारोपण** – वनीकरण वृक्षारोपण से मुख्यतः पंचायत भूमि, ओरण भूमि, चारागाह, पड़त एवं बंजर तथा वन भूमि पर किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य गांव के आस–पास पड़ी हुई भूमि का पर्यावरण सुधार कर ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी, चारापती एवं रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आवश्यकता पूर्ति करना है। इस योजना में चैकडेम, वी–डिच, कन्टूर ट्रेन्चेज बनाकर जल सरंक्षण एवं मृदा संरक्षण के प्रयास किये जाते है।

फेन्सिंग – कांटेदार तार अथवा डोला बनाकर क्षैत्र को चराई से रोका जाता है ताकि पौधो को पशुओं से बचाया जा सके। पौधारोपण से पूर्व 4 गुणा 5 मीटर दूरी पर खड्डे खोदे जाते है।

- **पौधारोपण** – इस योजना में मुख्यतः निम्न प्रजाति के पौधे लगाये जाते है। इसमें 500 पौधे प्रति हैक्टर लगाये जाते है –
  (1) इजरायली बबूल, (2) बैर, (3) खेजड़ी, (4) रोहिड़ा
  (5) शिशम, (6) अरडू, (7) नीम, (8) सिरस
- **बीजारोपण** – डोले पर मुख्यतः निम्न प्रजातियों का बीजारोपण किया जाता है– (1) कुमठा,(2) झड़ बेरी, (3) अरौंझ घास– घामण घास

- **वनीकरण द्वितिय वृक्षारोपण** – वनीकरण वृक्षारोपण से मुख्यतः पंचायत भूमि, ओरण भूमि, चारागाह, पड़त एवं बंजर तथा वन भूमि पर किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य गांव के आस–पास पड़ी हुई भूमि का पर्यावरण सुधार कर ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी, चारापती एवं रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आवश्यकता पूर्ति करना है। इस योजना में चैकडेम, वी.डिच, कन्टूर ट्रेन्चेज बनाकर जल सरंक्षण एवं मृदा संरक्षण के प्रयास किये जाते है।

  फेन्सिंग – कांटेदार तार अथवा डोला बनाकर क्षैत्र को चराई से रोका जाता है ताकि पौधो को पशुओं से बचाया जा सके। पौधारोपण से पूर्व 10 गुणा 10 मीटर दूरी पर खड्डे खोदे जाते है।

  - **पौधारोपण** – इस योजना में मुख्यतः निम्न प्रजाति के पौधे लगाये जाते है। इसमें 100 पौधे प्रति हैक्टर लगाये जाते है –
    (1) इजरायली बबूल, (2) बैर, (3) खेजड़ी, (4) रोहिड़ा,
    (5) शिशम, (6) अरडू, (7) नीम, (8) सिरस
  - **बीजारोपण** – डोले पर मुख्यतः निम्न प्रजातियों का बीजारोपण किया जाता है–(1) कुमठा,(2) झड़ बेरी,(3) अरौंझ घास :–घामण घास
  - **शैल्टर बैल्ट वृक्षारोपण** – यह वृक्षारोपण मुख्यतः कृषि, आबादी, सड़क के साथ– साथ किया जाता है इस मुख्य उद्धेश्य सड़को की सुरक्षा, रेतिली हवाओ से आबादी, कृषि क्षैत्रों की सुरक्षा के साथ–साथ आबादी क्षैत्रों के आस–पास हरियाली बढ़ाना भी है। इसके अतिरिक्त रोपित पेड़ो से स्थानीय लोगो की चारापती, जलाऊ लकड़ी आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है।
  - **फेन्सिंग** – क्षैत्र में पौधो की सुरक्षा के लिए तार फेन्सिंग या डोला फेन्सिंग की जाती है। पौधारोपण से पूर्व क्षैत्र में 4 गुणा 5 मीटर की दूरी पर खड्डे खोदे जाते है।
  - **पौधारोपण** – इस योजना में मुख्यतः निम्न प्रजाति के पौधे लगाये जाते है। इसमें 500 पौधे प्रति हैक्टर लगाये जाते है –
    (1) इजरायली बबूल, (2) बैर, (3) खेजड़ी, (4) रोहिड़ा,
    (5) शिशम, (6) अरडू, (7) नीम, (8) सिरस
  - **बीजारोपण** – डोले पर मुख्यतः निम्न प्रजातियों का बीजारोपण किया जाता है–(1) कुमठा, (2) झड़ बेरी, (3) अरौंझ **घास** :–घामण घास

- **नर्सरीया** वन मण्डल में निम्न नर्सरियां स्थाई/अस्थाई रूप में स्थापित है, जिनमें इस योजना की पौध तैयारी की जावेगी।

रैंज का नाम	पंचायत समिति का नाम	पौधशाला का नाम
नागौर	नागौर	मानासर, करणू
	मूण्डवा	खींवसर
		कुचेरा
	जायल	जायल, डेह
लाडनूं	लाडनूं	लाडनूं
	डीडवाना	मौलासर
कुचामन	कुचामन	आनन्दपुरा
		मीठडी
परबतसर	परबतसर	परबतसर, झालरा
मेड़ता	मेडता	लाम्बा जाटान
	रिंया बडी	थांवला, कोड

- **सामुदायिक संगठन** – सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत वानिकी कार्यो के प्रति मानव जाति का लगाव मानव जाति के मन में अच्छे–अच्छे विचार पैदा करना है, वानिकी कार्यो के लिये सामुदायिक को गतिमान बनाने का प्रयास किया जावेगा। इसके लिए ऐसी गतिविधियां ही ली जावेगी, तो परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से वानिकी कार्यो से ही संबंधित है। इसके तहत स्थानीय समुदाय को सरंक्षण के लिए प्रेरित कर चिकित्सालय परिसर, धार्मिक स्थल के आस–पास, श्मशान भूमि आदि जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहां ट्रीगार्ड से सुरक्षा उपलब्ध कराके पौधे लगाये जायेगें। तथा जल संरक्षण हेतु टांका निर्माण, तालाब निर्माण/संधारण के कार्य भी कराये जा रहे हैं।

16.4 समस्याऐं

जिले में वन्य जीवों की बहुतायत है जिले में बन बावरी जाति के लोगों द्वारा वन्य जीवों के शिकार करने की घटनाऐं प्रायः होती रहती है। जिले की जनता के जागरूक होने की वजह से शिकार की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस तथा वन–विभाग द्वारा त्वरित रूप से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जिले में राजस्व भूमि पर खेजड़ी के पेड़ काफी संख्या में खड़े हैं। लगातार अकाल पड़ने की वजह से काश्तकारों द्वारा अपने घरेलु आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अपने स्वयं के खेत की खेजड़ी को काटकर बेचने की प्रवृति रखते हैं। इस खेजड़ी का परिवहन करने पर पुलिस तथा वन – विभाग द्वारा सूचना मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जिले के अधिकतम भू–भाग में फ्लोराईड युक्त पानी होने से वृक्षारोपण हेतु पौध तैयारी करने में विभाग को कठिनाईयां आती है। जहां पानी मीठा तथा पौध तैयारी हेतु उपयुक्त पानी होता है वहीं पर पौधे तैयार किये जाते हैं। जिले के क्षेत्रफल को मध्य नजर रखते हुए फील्ड स्टाफ के स्वीकृत पद बहुत कम हैं जिससे सुरक्षा कार्यों एवं विकास कार्यों को सम्पादन करने में कठिनाईयां आती है।